



महिला अस्मिता के सवाल : समाजशास्त्रीय विमर्श
(राजस्थान के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. ज्योति सिडाना¹

सार संक्षेप:

सदियों से कहते-सुनते आये हैं कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, एक महिला को शिक्षित करने पर पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, महिला ही किसी मकान को घर बनाती है इत्यादि यह सब बातें सिर्फ कहने के लिए ही हैं या इनका कोई महत्व भी है। जब किसी महिला/लड़की का बलात्कार होता है तो उस पर चरित्रहीनता का लेबल लगा दिया जाता है, उसे घृणा भरी नजरों से देखा जाता है, समाज से उसको अलग-थलग कर दिया जाता है क्योंकि उसकी इज्जत जा चुकी है पर उस पुरुष का क्या जिसने इस दुर्व्यवहार को अंजाम दिया क्या उसकी इज्जत बरकरार रहती है? यानी दुर्व्यवहार करने वाले का कुछ नहीं होता जिसके साथ हुआ है उस लड़की की इज्जत दागदार हो जाती है। जब दहेज़ की मांग करने पर लड़की उस लड़के से रिश्ता तोड़ देती है तो ऐसी लड़कियों की शादी दोबारा तय होना मुश्किल होता है जबकि दहेज़ के लोभी लड़के की कोई बदनामी नहीं होती क्यों? लड़कियों को सलाह दी जाती है कि उन्हें सूनसान स्थानों पर या रात में अकेले नहीं जाना चाहिए, खुद को पूरी तरह ढक कर रखना चाहिए पर लड़कों को क्यों सलाह नहीं देते कि किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ या दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए? समाज की इस दोहरी मानसिकता के पीछे क्या कारण है? एक तरफ महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण, लैंगिक समानता की बातें करना दूसरी तरफ इस आधी आबादी के प्रति कुत्सित सोच, हिंसा, शोषण, दमन की प्रवृत्ति रखना दोहरी मानसिकता नहीं तो और क्या है।

मुख्य शब्द:

धड़ीचा प्रथा, कमला भसीन, अमृता प्रीतम, एन.सी.आर.बी. रिपोर्ट, उर्वशी बुटालिया।

¹ सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, राज. कला कन्या महा विद्यालय कोटा, ईमेल: drjyotisidana@gmail.com



मुख्य लेख:

कभी जानवर पिंजरे में थे और मनुष्य स्वतंत्र समाज में घूमते थे वो दिन दूर नहीं जब मनुष्य पिंजरे में और जानवर स्वतंत्र घूमते दिखाई देंगे। इसकी शुरुआत इस बात से मानी जा सकती है कि आज कल लोग अपने पेट्स (कुत्ते, बिल्ली, बंदर, टाइगर) को प्रशिक्षित करके उन्हें अपने साथ रखते हैं और उन्हें सभ्य समाज में रहने हेतु तैयार करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जानवर सभ्यता की ओर और मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहे हैं।

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के एक गांव में धड़ीचा नामक एक प्रथा काफी प्रचलित है जिसमें कोई भी व्यक्ति इस गांव की लड़कियों को किराये की बीवी बनाकर ले जा सकता है। और यह बंधन जिंदगी भर का नहीं होता यह कुछ महीने या साल के लिए होता है। यानी यहां पर महिलाओं को किराए पर अपनी बीवी बनाने का रिवाज है। एग्रीमेंट खत्म होने पर पुरुष तय करता है कि उसे बंधन आगे बढ़ाना है या खत्म करना है। कितना हास्यास्पद है कि इन प्रथाओं के विरुद्ध मानवाधिकार संगठन या महिला संगठन भी कठोर कदम उठाते नहीं दिखते। पशुओं और जानवरों के संरक्षण के लिए तो कई संगठन और समूह काम करते देखे जा सकते हैं परन्तु लगता है कि महिला की स्थिति इनसे भी गई गुजरी है। इसलिए महिलाओं को समझना होगा कि उन्हें अपनी आवाज खुद बनना होगा तभी इंसान होने का दर्जा मिल पाएगा अन्यथा इन घटनाओं को रोकना संभव ही नहीं है।

पिछले कुछ महीनों की घटनाओं की ही यदि यहाँ चर्चा करे तो स्पष्ट हो जायेगा कि राजस्थान में महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। राजस्थान में बूंदी जिले के एक गाँव में 14 साल की बच्ची बकरियों को चराने के लिए जंगल गयी थी जब शाम तक भी नहीं लौटी तो ढूँढने पर उसका शव मिला जिसे बलात्कार के बाद पत्थर से सिर कुचल कर मार दिया गया। सीकर में एक ससुर ने अपनी बहु के साथ दुर्व्यवहार किया। जयपुर में 9 साल की बच्ची से उसके पड़ोसी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी उसे जगह-जगह नोचा, पीटा, काटा और शोषण करके भाग गया। जयपुर में 11 साल की



नाबालिक से बलात्कार का मामला सामने आया है जिसे उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति (जिसे वह अंकल कहती थी) ने अंजाम दिया। पाली जिले के एक सरकारी स्कूल के टीचर ने 11 साल की बच्ची के साथ रेप करने का प्रयास किया जो छठी क्लास में पढ़ती थी उसे खाली कमरे में बुलाकर कपड़े उतारने के लिए कहा और ऐसा ना करने पर फेल करने की धमकी दी। कोटा में एक ट्यूशन टीचर ने लड़की के साथ बलात्कार का प्रयास किया और उसकी हत्या कर दी। जयपुर में एक नाबालिग बच्ची से रेप की घटना सामने आने पर जब उसके पिता ने अभियुक्त को धमकाया तो उसने उस पिता की हत्या कर दी। अजमेर के सरकारी स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ और अश्लील मैसेज भेजने का मामला सामने आया है, आरोपी टीचर छात्रा को अश्लील मैसेज भेजता और उससे नहाते हुए न्यूड फोटो मांगता था। जयपुर में नौकरी से लौटती 24 साल की युवती का अपहरण कर उसके हाथ और शरीर पर जगह-जगह पिन और पेन चुभाये। राजसमंद में पिता ने अपनी 5 साल की बेटी को कुएं में फेंक दिया यह कहते हुए किसकी शादी का खर्चा कौन उठाएगा। भरतपुर में 13 साल की नाबालिग से 16 लोगों को ने गैंगरेप किया जो कि जंगल में बकरियां चराने गई थी। क्या कहेंगे ऐसे समाज को जिसमें 3 माह की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है।

स्कूल में शिक्षक, ट्यूशन टीचर, पड़ोसी, ऑटो और टैक्सी चालक, सड़क चलते लोग, सार्वजनिक स्थान आखिर ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ लड़कियां सुरक्षित और स्वतंत्र अनुभव कर सकती हैं। यह तो एक राज्य के कुछ स्थानों की केवल कुछ दिनों की घटनाएँ हैं, पूरे देश में इन घटनाओं का आंकड़ा क्या होगा इन कुछ घटनाओं से ही अनुमान लगाया जा सकता है। बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध की संख्या के मामलों में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। नगरों और महानगरों में तो फिर भी इस तरह की घटनाएँ मीडिया के कारण सामने आ जाती है लेकिन गांवों और कस्बों का क्या जहाँ इस तरह की घटनाओं पर शायद चर्चा भी



नहीं होती। क्योंकि कई बार तो मामले पुलिस तक पहुंचते ही नहीं हैं या फिर परिवार की बदनामी के डर से उसे दबा दिया जाता है।

एनसीआरबी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले तीन साल में बच्चों के खिलाफ 4,18,385 अपराध दर्ज किए गए जिनमें से पाँक्सो एक्ट के तहत करीब 1,34,383 मामले दर्ज हुए। यह रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2020 में देश में बाल यौन शोषण के 47,221 मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों में अधिकतर पीड़ित लड़कियां ही थीं। इतना ही नहीं इंटरपोल के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2017 से 2020 के बीच यानी तीन साल की अवधि में बच्चों के ऑनलाइन यौन उत्पीड़न के 24 लाख से अधिक मामले सामने आए जिनमें 80 प्रतिशत 14 साल से कम उम्र की लड़कियां थीं। सवाल यह है कि इन आंकड़ों को देखकर या पढ़कर राज्य, समाज, प्रशासन ने क्या कदम उठाये ? या अभी इससे भी और बदतर स्थिति में जाने का हम इंतजार कर रहे हैं ?

जानी मानी लेखिका कमला भसीन ने लिखा था कि संविधान ने सालों पहले कह दिया था कि पुरुष और स्त्री समान हैं। लेकिन समाज को यह अब तक समझ में नहीं आया। वह आगे कहती हैं कि सिर्फ संसद में महिलाओं के आने से चीजें बेहतर नहीं होंगी। मैं चाहती हूँ कि अधिक नारीवादी महिलाएं संसद में पहुंचें। मैं नारीवादी महिला ही नहीं, नारीवादी पुरुष भी चाहती हूँ क्योंकि यह जो सोच है, कोई जिस्मानी सोच नहीं है। बल्कि नारीवाद से हमारा मतलब है समानता और सिर्फ समानता। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि महिलाएं अपने विरुद्ध होने वाले दुर्व्यवहार और हिंसा के विरुद्ध बोलने से डरती हैं कि उनकी आवाज को दबा दिया जायेगा। लेकिन उन्हें समझना होगा कि जब वे चुप रहती हैं तो भी तो डरती हैं। तो क्या ऐसे में बोलना ही बेहतर विकल्प नहीं है। हम सिर्फ पढ़ते और सुनते आये हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं या फिर स्त्री की उन्नति ही राष्ट्र की उन्नति है लेकिन जमीनी हकीकत से संभवतः इसका कोई वास्ता नहीं है। अगर ऐसा सच में होता तो आज इस तरह के लेख लिखने की जरूरत अनुभव नहीं होती।



उर्वशी बुटालिया जो एक अन्य जानी मानी लेखिका हैं तर्क देती हैं कि बलात्कार अपने आप नहीं होता है। खुद से पूछिए कि हम सब एक समाज और इंसान के तौर पर किस तरह बलात्कार की संस्कृति और सोच को बढ़ावा देते हैं। किस तरह हमारा समाज और समाजीकरण पुरुषों को हिंसक बनाते हैं। हर रोज हम महिलाओं को किस तरह बेइज्जत करते हैं। संभवतः उसी का परिणाम है कि महिलाओं को सम्मान की नज़र से न परिवार में, न कार्यस्थलों और न ही राजनीति में देखा जाता है। परिवार में बच्चा अपनी माँ, बहन, दादी के साथ दिन प्रतिदिन होने वाले व्यवहार को देखता है, उनके प्रति किस तरह की भाषा प्रयोग की जाती है यह भी देखता और सीखता है और फिर आगे चलकर अपनी पत्नी और बेटी के साथ भी वही व्यवहार और भाषा प्रयुक्त करता है। इसलिए जिस दिन ऐसा व्यवहार और भाषा का प्रयोग परिवारों में रुक जाएगा उस दिन यह अपेक्षा की जा सकती है कि महिलाओं के प्रति सोच बदलेगी।

इस संदर्भ में अमृता प्रीतम कहती हैं कि मर्द औरत के साथ अभी तक केवल सोना ही सीखा है, जागना नहीं। इसलिए मर्द और औरत का रिश्ता उलझनों का शिकार रहता है। भारतीय पुरुषों को आदत पड़ चुकी है औरतों को परंपरागत भूमिकाओं में देखने की। वह होनहार औरतों से बात तो कर लेते हैं मगर उनसे शादी नहीं करना चाहते। उन्हें शादी के लिए भावुक, घरेलु, गैर-तार्किक, कर्तव्य परायण और कुशल गृहणी चाहिए न कि तर्क, अधिकार और बराबरी की बात करने वाली जीवन साथी। कैसी दोहरी मानसिकता है इस पुरुषसत्तात्मक समाज की। एक तरफ तार्किकता को जीवन में महत्व देते हैं और दूसरी तरफ महिलाओं के तार्किक होने से परहेज करते हैं। संभवतः इसलिए कि तर्क हर तरह की हिंसा, शोषण और दमन का विरोध करता है।

ऐसा नहीं है कि पूर्व के समाजों में ऐसी घटनाएं नहीं होती थी परन्तु अधिकांशतः इन घटनाओं को ऐसे लोग अंजाम देते थे जो अपराधिक मानसिकता के होते थे। और इस तरह की घटनाओं की संख्या भी कम थी। परन्तु अब न केवल इन घटनाओं में कई गुना वृद्धि हुई है अपितु समाज के प्रतिष्ठित लोग, राजनेता, शिक्षक, चिकित्सक, पुलिस इत्यादि भी इस तरह



की घटनाओं को अंजाम देने से नहीं चूकते। प्रतिदिन के समाचार पत्रों में ऐसी घटनाओं को पढ़ा जा सकता है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पुरुष समाज के लिए महिला केवल एक शरीर है वे कभी भी महिला को दिमाग के साथ स्वीकार नहीं करते। जानी मानी नारीवादी लेखिका कमला भसीन का यह तर्क सटीक जान पड़ता है कि पितृसत्ता के खिलाफ आवाज न उठाने वालों को इससे मिलने वाले फायदे इतने पसंद आते हैं कि वह इसकी बुराई देखते ही नहीं हैं। पुरुष समाज कहता है कि औरत को अकेले नहीं रहना चाहिए क्योंकि अकेली औरत सुरक्षित नहीं होती परन्तु वे यह भूल जाते हैं कि उन्हीं की वजह से तो असुरक्षित है। इसलिए बदलने की जरूरत तो उन्हें है उनकी सोच को और उनके नजरिये को।

दैनिक भास्कर में छपे पुलिस विभाग के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में रोज औसतन 17 महिलाओं के साथ रेप की वारदात होती है। 24 से ज्यादा महिलाओं/छात्राओं को छेड़छाड़ की यातना से गुजरना पड़ता है। और एक महिला की दहेज के लिए हत्या कर दी जाती है। 2021 में राजस्थान में रेप के 6337, छेड़छाड़ के 9,079, अपहरण के 5,964 और दहेज हत्या के 452 मामले सामने आए। एक साल में महिलाओं के खिलाफ 21,832 अपराध यानी हर दिन 60 महिलाओं के विरुद्ध अपराधिक घटनाएँ होती हैं। समाचार पत्रों में छपी रेप व छेड़छाड़ की घटनाओं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक और खबर के अनुसार हांगकांग की संस्था इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन (EOC) ने एविएशन इंडस्ट्री के कपड़ों को लेकर एक शोध किया। इसमें 29% महिला क्रू ने माना कि उन्हें ड्यूटी पर लगातार यौन हिंसा झेलनी होती है। हिंसा करने वालों में 59% लोग यात्री होते हैं, जबकि 41% लोग महिला अटेंडेंट के सहकर्मी होते हैं। ब्रिटिश एयरवेज की औरतों को साल 2016 में ट्राउजर पहनने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी क्योंकि मासिक धर्म के दौरान स्कर्ट पहनने में तकलीफ होती थी। छोटी स्कर्ट छोड़ आरामदेह पैंट पहनने की इजाजत तो मिली, लेकिन इस



शर्त पर कि उन्हें लाइन मैनेजर से परमिशन लेनी होगी। ऐसा लगता है कि आधुनिक समाज में अनेक बदलाव तो हुए हैं लेकिन महिलाओं के लिए इन बदलावों के कोई अर्थ नहीं हैं क्योंकि 17वीं सदी हो या 21वीं महिलाओं के लिए क्या सही क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा आज भी पुरुषसत्ता ही तय करती है। संभवतः इसीलिए उत्तराखंड के एक मंत्री ने कहा कि औरतों को घुटने के पास फटी जींस पहने देखकर हैरानी होती है। ऐसी महिलाएं बच्चों के सामने ऐसे कपड़े पहनेंगी तो उन्हें क्या संस्कार देंगी। फटी जींस तो आज फैशन में है जिसे पुरुष भी पहनते हैं तो यह आक्षेप तो पुरुषों पर भी लगना चाहिए या फिर पुरुषों का संस्कार से कोई लेना देना नहीं होता। शायद सही भी है क्योंकि अगर होता तो बलात्कार और दुर्व्यवहार की घटनाएँ इतनी नहीं बढ़ती।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक नारीवादी आंदोलन हुए, स्थानीय और वैश्विक मंचों पर अनेकों बार लैंगिक समानता की बात की गयी, बहुत कुछ लिखा गया और अभी भी जारी है लेकिन थोड़े बहुत बदलाव के अलावा महिलाओं के जीवन में कुछ विशेष अंतर देखने को नहीं मिलता। इस सन्दर्भ में व्यापक स्तर पर चिंतन करने की जरूरत है। यह सवाल केवल आधी आबादी के विकास का नहीं है बल्कि एक देश और समाज का विकास भी बहुत हद तक इन पक्षों से तय होता है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ यह आधी आबादी नहीं है घर, परिवार, राजनीति, शिक्षा, प्रशासन, व्यापार, कॉर्पोरेट हर जगह तो इनकी उपस्थिति है फिर इनकी उपेक्षा कैसे की जा सकती है। न केवल इतना बल्कि किसी भी देश का समग्र विकास संपूर्ण जनसंख्या की सहभागिता से तय होता है। यही कारण है कि विश्व के अनेक देश और समाज लोकतंत्र सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, गरीबी सूचकांक, जेंडर विकास सूचकांक, खुशहाली सूचकांक इत्यादि में विकास के निम्नतम स्तर पर बने रहने को मजबूर हैं। मानव शरीर भी तभी पूर्ण रूप से विकसित होता है जब उसके सभी अंग उचित तरीके से अपना काम करते हैं। एक भी अंग में विकृति आने पर या उसकी उपेक्षा करने पर मानव शरीर का विकास असमान्य (एबनोर्मल) हो जाता है। इसलिये जरूरी है कि देश के प्रत्येक नागरिक महिला, पुरुष, प्रत्येक धर्म, जाति, समुदाय की भूमिका और सहभागिता को समान



महत्त्व दिया जाए, बच्चों को परिवार से ही महिलाओं का सम्मान करना सिखाया जाये, महिलाओं का परिवार और राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान है इस पर उनसे बात की जाये। लड़का-लड़की दोनों को समान शिक्षा दी जाए, समान तरह के अनुशासन और कर्तव्यों से परिचित कराया जाये। अधिकांश लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थान घर है लेकिन ऊपर लिखी घटनाओं को पढ़ने सुनने के बाद आज इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर यह सच होता तो द्रोपदी का चीरहरण तो उसके अपने घर में, अपनों के बीच, अपनों के द्वारा ही हुआ था।

नारीवादी लेखिका सिमोन द बुआ सुझाव देती हैं कि मर्दों के हाथों से सत्ता छीनना काफी नहीं है हमें जरूरत है सत्ता की परिभाषा को बदलने की। उनका यह तर्क सच भी है क्योंकि सत्ता का अर्थ सदैव दूसरों को अपने अधीन बनाना या उन पर शासन करना नहीं होता है अपितु सत्ता का अर्थ सभी को समानता के साथ देखना और उनके अधिकारों की रक्षा करना होता है। तो फिर सत्ता को हमेशा दमन व शोषण के रूप में ही क्यों प्रयुक्त किया जाता है। कितना अन्तर्विरोध है न कि जो समस्या या चुनौती प्रकृति उत्पन्न करती है उसका समाधान समाज निकलने का भरसक प्रयास करता है परन्तु जो समस्या खुद (पुरुष)समाज ने उत्पन्न की है उसके लिए समाधान निकलना क्या समाज का दायित्व नहीं है। क्या यह समस्या इतनी बड़ी और जटिल है कि मानव समाज इसका समाधान नहीं खोज सकता। शायद नहीं केवल पुरुष समज को अपनी सोच और नजरिया ही तो बदलना है बस। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन समाज महिलाओं के लिए भी रहने लायक हो जायेगा। अमेरिकन नारीवादी ऑड्रे लॉर्ड मानती हैं कि मैं तब तक आजाद नहीं हूँ जब तक एक भी औरत कैद में है भले ही उसकी बेड़ियां मेरी बेड़ियों से अलग हो। आपकी चुप्पी आपकी रक्षा नहीं करेगी इसलिए खुद की आवाज खुद बनो। अमृता प्रीतम का यह कहना कि सभ्यता का युग तब आएगा जब औरत की मर्ज़ी के बिना कोई औरत को हाथ नहीं लगायेगा, सच है पर क्या यह सोच कभी मूर्त रूप ले पायेगी।



सारांश:

यह सच है कि पूर्व की तुलना में 21वीं सदी में महिलाओं की प्रस्थिति में बदलाव आया है लेकिन यह बदलाव उतना व्यापक और पर्याप्त नहीं है जितना होना चाहिए था । इसलिए अभी इस दिशा में अनेक सकारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। जब तक महिलाएं बोलने से डरती रहेंगी तब तक उन्हें डराया जाता रहेगा, उनकी आवाज को दबा दिया जायेगा जैसा हमेशा से होता भी आया है। इसलिए अच्छा है कि अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार और हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाई जाए ताकि अपने अंदर के डर को हराया जा सके। उदाहरण के तौर पर सोहेला अब्दुलाली ने अपनी पुस्तक 'व्हाट वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट रेप ' में आपबीती लिखते हुए बताया कि उनके साथ 17 वर्ष की उम्र में मुंबई में गैंग रेप हुआ था सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक लड़के (मित्र) के साथ घूम रही थी और मेरा इस तरह घूम ना उनके लिए अनैतिक था। इस संदर्भ में वह आगे लिखती हैं कि बलात्कार किसी खास समूह की महिलाओं के साथ नहीं होता , न ही किसी खास समूह के पुरुष बलात्कारी होते हैं। बलात्कारी कोई अत्याचारी या कि आपके पड़ोस में रहने वाले लड़के या मिलनसार अंकल भी हो सकते हैं। बलात्कार को दूसरी औरतों की समस्या के रूप में देखना बंद करें। इसकी सार्वभौमिकता को पहचानें और इसके बारे में एक बेहतर समझ बनाएँ। बलात्कार का शिकार होना बहुत दर्दनाक है, मगर जिंदा रहना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए स्वयं को समाप्त करना इस समस्या का हल नहीं है अपितु इस अपराध को रोकने की दिशा में कदम उठाना महत्वपूर्ण है। उनका इस पुस्तक को लिखना इस बात का साक्षी है कि उन्होंने जिंदगी को चुना। और संभवतः ऐसा लेखन ही “मी टू” जैसे आंदोलन को सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं की आवाज बना सकने में सफल प्रयास रहा।



सन्दर्भ:

प्रीतम, अमृता (2015), रसीदी टिकट, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया।

बुटालिया, उर्वशी (2017), द अदर साइड ऑफ़ साइलेंस, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया।

भसीन, कमला (1993), व्हाट इस पैट्रीआर्की, काली फॉर वीमेन, नई दिल्ली।

लॉर्ड, ऑड्रे (1984), सिस्टर आउटसाइडर, पेंगुइन यू.के. ।

बुआ, सिमोन द (1949), द सेकंड सेक्स, विंटेज बुक्स, लंदन।

अब्दुलाली, सोहेला (2018), व्हाट वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट रेप , मीरेड
ब्राइटन।